पटना में दिनांक–10 जनवरी, 2017 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

1. राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर पूर्व सैन्य पदाधिकारियों की भर्त्ती के संबंध में नियमावली के गठन की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

2. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III(a), (प्राक्कलित राशि रू० 94357.50 लाख) (नौ सौ तेतालीस करोड़ सन्तावन लाख पचास हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

3 पथ निर्माण विभाग के अधीन महासेतु एवं सेतुओं के प्रबंधन हेतु विभागाधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित कर इसका सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ अतिरिक्त 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के रू० 79,84,848/–(उन्यासी लाख चौरासी हजार आठ सौ अड़तालिस) के वार्षिक व्यय पर पदों का सृजन के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–दीघा, थाना नं०–01 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–11.211 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–I) कैसरे हिन्द भूमि एवं मौजा–दीघा, दियारा, थाना नं०–1/2 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–23.330 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–II) खास महाल भूमि सहित कुल रकबा–34. 541 एकड़ भूमि एम्स (AIIMS) से दीघा रेल–सह–सड़क पुल के पहुँच पथ (Elevated Corridor) के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

विधि विभाग

5. बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 का संशोधित नियमावली बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

विधि विभाग

6. बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग
(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

7. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल–02 (मात्र दो) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029, दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415, दिनांक–20.12.2012 को शिथिल करते हुए एक वर्ष (आदेश निर्गत की तिथि से) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. सब जज/सब जज–सह–मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत् न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

9. त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए दिनांक–28.02.2017 को मतदान सम्पन्न कराने हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10. वर्ष 2016 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों/संरचनाओं/बराजों इत्यादि के पुनर्स्थापन हेतु जल संसाधन विभाग को बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 3,00,00,00,000/– (तीन सौ करोड़) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

कृषि विभाग

11. राज्य सरकार के अधीन कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं उद्यान स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत सीट पर आई०एस०सी०एजी० उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन का अवसर प्रदान करने तथा आई०एस०सी०एजी० को इंटरमिडियट साईंस के समतुल्य दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. बांका जिलान्तर्गत कटोरिया अंचल के मौजा–कधार, टोला–कोल्हासार के थाना सं०–202/90, खाता सं०–01, खेसरा सं०–484, रकबा–60 डिसमिल गैरमजरूआ मालिक जंगल साखु भूमि 3400/– रू० प्रति डिसमिल की दर से 2,04,000/– (दो लाख चार हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 2,55,000/– (दो लाख पचपन हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–4,59,000/– (चार लाख उनसठ हजार) रू० के भुगतान पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत 33/11 के० भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. बांका जिलान्तर्गत रजौन अंचल के मौजा–सकहरा के थाना सं०–532, खाता सं०–274, खेसरा सं०–659, रकबा–50 डिसमिल गैरमजरूआ खास परती भूमि 4200/– रू० प्रति डिसमिल की दर से 2,10,000/– (दो लाख दस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 2,62,500/– (दो लाख बासठ हजार पॉच सौ) रू० पूॅजीकृत मूल्य सहित कुल–4,72,500/– (चार लाख बहत्तर हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत 33/11 के० भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. प० चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमण्डल के गौनाहा अंचल के मौजा–देवाढ़, थाना नं०–193, खाता सं०–31, खेसरा सं०–165/1, रकबा–0.50 एकड़ गैर मजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि 7500/– रू० प्रति डिसमिल की दर से 7500 X 50 = 375000/– रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 18750.00 रू० का 25 गुणा अर्थात 468750.00 रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–843750.00 (आठ लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास) रू० के एकमुश्त भुगतान पर प्रस्तावित 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना के निमित्त नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

16. षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 184वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

17. पूर्णियाँ न्यायमंडल अंतर्गत बायसी, धमदाहा एवं बनमनखी अनुमंडलों में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों के लिए न्यायिक आधारभूत संरचना यथाः–कोर्ट भवनों एवं न्यायिक आवासीय भवनों के निर्माण के लिए बायसी हेतु 10 एकड़ भू–अर्जन के लिए 16,17,85,625/– (सोलह करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार छह सौ पच्चीस) रूपये, धमदाहा हेतु 10 एकड़ भू–अर्जन के लिए 61,87,45,625/– (एकसठ करोड़ सतासी लाख पैतालीस हजार छह सौ पच्चीस) रूपये तथा बनमनखी हेतु 10 एकड़ भू–अर्जन के लिए 37,68,25,625/– (सैतीस करोड़ अड़सठ लाख पच्चीस हजार छह सौ पच्चीस) रूपये अर्थात् कुल 30 एकड़ अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए कुल 115,73,56,875/– (एक सौ पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख छप्पन हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये की व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति। — 17. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

18. समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) पर राज्य सरकार के प्रत्युत्तर/मंतव्य के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

20. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुण्डघाट जलाशय योजना कार्य के एकरारनामा सं० 01SBD/2010-11 के अंतर्गत कराये जा रहे कार्य को पूर्ण करने हेतु इनके अवशेष कार्यों के लिए SBD (Standard Bidding Document) की कंडिका 10CC में यथा–प्रावधानित लेबर कम्पोनेन्ट, सीमेंट कम्पोनेन्ट, स्टील कम्पोनेन्ट, बिटुमेन कम्पोनेन्ट, पी०ओ०एल० (Petroleum Oil Lubricant) कम्पोनेन्ट, प्लान्ट एण्ड मशीनरी स्पेयर्स कम्पोनेन्ट एवं अदर मेटेरियल कम्पोनेन्ट मदों में मूल्य–सामंजन (Price Adjustment) को अनुमान्य करने के संबंध में। — 20. **स्वीकृत।**